20.3.25

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार अलवर रिपोर्ट प्राप्त। बहस सुनी जाकर निर्णय हस्ब ले लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय प्रति हस्ब से तहसीलदार अलवर को भिजवाई जाकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी –श्री यशार्थ शेखर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/15	17.06.2019	136 LR Act	20.03.2025

उनवान

1:–महेश चन्द मीणा पुत्र स्व० श्री चन्दर राम मीणा जाति मीणा आयु करीब 54 साल निवासी संजय कॉलोनी, मोती डूंगरी रोड अलवर तहसील अलवर जिला अलवर

प्रार्थी

बनाम

1:–श्रीमान तहसीलदार साहब अलवर (लैण्ड होल्डर) जरिये राजस्थान सरकार

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता श्री चन्दर राम पुत्र जंगाराम जाति मीणा के नाम से आराजी खसरा नंबर 34 रकबा 0.51 हैक्टेयर, 36 रकबा 1.15 हैक्टेयर, 37 रकबा 1.13 हैक्टेयर, 47 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, 48 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, 61 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, 62 रकबा 1.10 हैक्टेयर कुल किता 07 कुल रकबा 5.6100 हैक्टेयर वाके ग्राम देवखेडा पटवार हल्का देवखेडा तहसील अलवर में से 1/2 हिस्से अनुसार स्थित है। जिस आराजी पर मिन वादी व मिन दादी की भाई कन्हैयालाल की कब्जा काश्त मौके पर मौजूद है

वादी के पिता श्री चन्दर मीणा का देहान्तवास होने के बाद मिन वादी व वादी के भाई कन्हैयालाल मीणा उक्त आराजी के नैसर्गिक वारिस थे जिसका विरासत का इंतकाल दिनांक 3-06-1975 ग्राम पंचायत देवखेडा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर खोला गया तो वहाँ मौजूदा पंचगणों ने मृतक चन्दर मीणा के वारिसानों के नाम कन्हैयालाल व वादी का नाम लाराम घर पर बोलता हुआ बताया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम महेश चन्द मीणा वादी की शैक्षणिक अंकतालिका कक्षा 10 वीं सन 1981, भारत निवार्चन आयोग का पहचान सन 1995, आधार कार्ड संख्या 7363 3392 5947 है पारिवारिक राशन कार्ड संख्या 01013 नंबर 31 नगर परिषद अलवर, ड्राईविंग लाईसेंस एल०एम०वी० जिसका नंबर रजे-02/20030056973 दिनांक 16-01-2008 राजस्थान सरकार जिला परिवहन अधिकारी वर द्वारा जारी किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

मिन वादी एवं मिन वादी का भाई कन्हैया लाल अपनी उपरोक्त आराजी का फैमली सैटलमेन्ट (खाता बंदी) करवाने के लिये श्रीमान तहसीलदार साहब अलवर के समक्ष दिनांक 15-05-2019 को उपस्थित हुये और अपने राजस्व रिकोर्ड के बारे में जानकारी की तो पता चला कि मिन वादी का नाम सहवन से इंतकाल दिनांक 03-06-1975 में महेश चन्द मीणा के बजाय घर पर बोलता हुआ नाम लालाराम दर्ज हो गया है जो काबिल गौर श्रीमान है वादी के उक्त रेवन्यू रिकोर्ड में दुरूस्ती का अधिकार श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है जिस वजह से यह वाद पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है

वादी ने सक्षम अधिकारी से अपने राजस्व रिकोर्ड की नकल इंतकाल संख्या 78 दिनांक 03-06-1975 की नकल दिनांक 24-05-2019, जमाबंदी संवत 2027 की नकल दिनांक 24-05-2019, मिलान क्षेत्रफल संवत 2051 की नकल दिनांक 16-05-2019, हाल जमाबंदी की नकल दिनांक 22-05-2019 को प्राप्त की गई है प्रार्थना पत्र हाजा के लिये बिनाय दावी दिनांक 15-05-2019 को हुई है व बिनाय मुखास्मत दिनांक 24-05-2019 को हुई जब मिन वादी ने अपनी अराजीयात की नकल प्राप्त की है जिससे यह वाद पत्र अन्दर अवधि श्रीमान के समक्ष पेश है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी के राजस्व रिकोर्ड में मिन वादी का नाम लालाराम के स्थान पर महेश चन्द मीणा दर्ज करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपार्ट कमॉक भू0अ0/2023/6762 दिनॉक 27-7-2023 के अनुसार प्रकरण में प्राथी महेश चन्द मीणा पुत्र स्व० श्री चन्दरराम मीणा जाति मीणा निवासी संजय कोलोनी, मोती डूंगरी अलवर तहसील अलवर द्वारा इस आशय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आराजी ख0न0 34/0.51, 36/1.15, 37/1.13, 47/0.70, 48/0.44, 61/0.58, 62/1.10, कुल किता 07 रकबा 5.61 है0 वाके ग्राम देवखेडा तहसील अलवर में लालाराम पुत्र चन्दर हि. 1/2 के नाम से दर्ज रिकार्ड है मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी का वास्तविक नाम महेश चन्द मीणा पुत्र स्व० श्री चन्दर राम मीणा है प्रार्थी राजस्व रिकार्ड वाके ग्राम देवखेडा तहसील अलवर में लालाराम के स्थान पर महेश चन्द मीणा दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहता है

मुताबिक संलग्न जमाबंदी संवत 2027 साबिक ख0न0 91 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा, 92 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा, 93 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा, 105/1 रकबा 2), 109 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, एवं 110 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, चन्दर पुत्र जंगाराम कौम मीणा सा. अलवर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है

खातेदार चन्दर पुत्र जंगाराम कौम मीणा सा अलवर की मृत्यु के पश्चात उक्त साबिक खसरा नम्बरान पर विरासत का नामा० संख्या 78 मृतक चन्दर के वारिसान कन्हैयालाल, लालाराम पुत्रान चन्दर कौम मीणा स.भा. सा. अलवर खातेदार के नाम दिनांक 03.06.1975 को

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

दर्ज किया जा कर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.06.1975 को स्वीकृत किया गया उक्त स्वीकृत नामा० संख्या 78 का नोट जमाबंदी संवत 2027 में अंकित है।

मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2051 वाके ग्राम देवखेडा उक्त साबिक खसरा नम्बरानो के हाल ख०न० 34/0.51, 36/1.15, 37/1.13, 47/0.70, 48/0.44, 61/0.58, 62/1.10. कुल किता 07 रकबा 5.61 है0 कायम हुये। मुताबिक हाल आनलाईन जमाबंदी वाके ग्राम देवखेडा के खाता संख्या 13 में दर्ज ख0न0 34/0.51. 36/1.15, 37/1.13, 47/0.70, 48/0.44, 61/0.58, 62/1.10, कुल किता 07 रकबा 5.61 है० लालाराम पुत्र चन्दर हि. 1/2 एवं कन्हैयालाल पुत्र चन्दर हि. 1/2 जाति मीना सा. मौहल्ला सेड का टीला अलवर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। संलग्न अंक तालिका कक्षा दसवीं, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति में नाम महेश चन्द मीणा पुत्र चन्दर राम अंकित है दस्तावेज संलग्न किये गये है।

प्रार्थी द्वारा प्रकरण में शपथ पत्र संलग्न किया गया है जिसके अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम महेश चन्द मीना है तथा लालाराम एवं महेश चन्द मीना दोनो नाम प्रार्थी के स्वयं के है किन्ही दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम नहीं है।

प्रार्थी राजस्व रिकार्ड वाके ग्राम देवखेडा तहसील अलवर में उक्त आराजीयात पर लालाराम के स्थान पर महेश चन्द मीणा दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहता है प्रकरण में रिपोर्ट प्रेषित की गई।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2)1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न प्रा0 पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर खातेदार चन्दर पुत्र जंगाराम कौम मीणा सा अलवर की मृत्यु के पश्चात आराजी का विरासत का नामा० संख्या 78 दिनॉक 03.06.1975 को दर्ज किया गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा दिनाक 10.06.1975 को स्वीकृत किया गया जो लालाराम पुत्र चन्दर हि. 1/2 एवं कन्हैयालाल पुत्र चन्दर हि. 1/2 जाति मीना दर्ज किया गया जो वर्तमान में चला आ रहा है कोई राजस्व त्रुटी नहीं हुई है जो आदिनांक तक हाल राजस्ब रिकार्ड मे बदस्तूर चला आ रहा है

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उक्त आधार पर प्रार्थना पत्र आराजी का विरासत नामान्तकरण अनुसार अंकन सही एंव सत्य है किसी भी प्रकार की त्रुटि राजस्व अभिलेख मे होना जाहिर नही पाया गया है नाही बन्दोबस्त के दौरान का मामला बनना पाया जाता है

प्रार्थी द्वारा अंक तालिका कक्षा दसवीं, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति के आधार पर राजस्व अभिलेखो मे नाम मे परिवर्तन चाहा गया जो प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत नही आने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है प्रार्थी किसी भी न्यायालय मे सम्बंधित धाराओ के अन्तर्गत वाद दायर कर रिलिफ पाने के लिये स्वतन्त्र है।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 20-3-25 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर